

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 2011

का.आ. 1295(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ककक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 672(अ), दिनांक 27 जुलाई, 1995 में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः :-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ (1) में, खंड (ग) के उपरांत, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः :-

(घ) सदस्य, उसकी पत्नी तथा आश्रित बच्चों के वार्षिक चिकित्सा परीक्षणों अथवा चिकित्सा जाँचों की लागत को पूरा करना ।

[अधिसूचना सं. 33/2011/फा. सं. 197/12/2010-आ.क.नि.-I]

रमण चोपड़ा, निदेशक (आ.क.नि.-I)